राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4231/2025

रामनारायण खंगारोत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, ब्यावर।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भवानीपुरा, ब्लॉक मसूदा, ब्यावर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 16.09.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड III, लेवल–I, के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भवानीपुरा, ब्लॉक मसूदा, ब्यावर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरपुरा गिरी, मसूदा अध्यापक लेवल–II, हिन्दी से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भवानीपुरा में अध्यापक लेवल–I के पद पर पदस्थापन किया गया, जबकि अपीलार्थी का मूल पद अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II, हिन्दी हैं। उसी विद्यालय में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II, संस्कृत का पद रिक्त है, ऐसे में अपीलार्थी को लेवल–II संस्कृत के पद पर पदस्थापित किया जा सकता था। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपने मनमाने ढ़ग से अपीलार्थी को लेवल–I के पद पर पदस्थापित किया है जो कि अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 22.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमूक्त कर दिया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.12.2024 (अनुलग्नक–2) को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर समायोजन इसी विद्यालय में

लेवल–II संस्कृत के पद पर किया जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को उसी विद्यालय में अध्यापक लेवल–II संस्कृत के पद पर लगाए जाने के आदेश फरमावे जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य